

नोट- मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र को नगद पुरस्कार हेतु आवेदन सह आदेश-पत्र

1. माता/पिता का पंजीयन क्रमांक
2. छात्र-छात्रा का नाम
3. पिता/माता का नाम
4. पत्र व्यवहार हेतु पूरा पता
5. उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण
- (I) संस्था का नाम
- (II) (परीक्षा का नाम)
- (III) प्राप्तांक..... पूर्णांक..... प्रतिशत
6. कक्षा जिसमें इस वर्ष अध्ययनरत है.
7. घोषणा- मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। असत्य पाये जाने की दशा में राशि वापस करने का वचन देता हूँ। उपरोक्त के लिए मुझे किसी अन्य विभाग से सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

छात्र-छात्रा के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरांत उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति की दशा में राशि रुपये बैंक क्रमांक..... दिनांक..... बैंक का नाम..... शाखा का नाम..... द्वारा श्री को भुगतान किया गया।

स्थान :
दिनांक :

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

पावती

राशि रुपये..... प्राप्त किए गए।

बैंक क्रमांक.....

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पूरा नाम

दिनांक

पता

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावे। मूल परिचय-पत्र देखकर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र की छाया प्रति की मौग नहीं की जानी चाहिए। आवेदक द्वारा दर्शाये विवरण की स्थल जाँच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात् ही सहायता राशि स्वीकृत की जाए।
2. यदि पंजीबद्ध श्रमिक के परिवार को शासन के अन्य किसी विभाग/योजना के अंतर्गत भी सहायता की पात्रता है तो पंजीबद्ध श्रमिक के लिए यह विकल्प होगा कि दोनों में से जहाँ बेहतर सुविधा मिल रही है उसका चयन वह कर सकेगा। किन्तु एक ही प्रकार का लाभ एक से अधिक स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।